न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 36/20 सन् 2020

RCMS NO-2020/ 00059

बउनवानी:—1. नानकराम पुत्र राधेश्याम मीना निवासी बोरदा तहसील चौथ का बरवाडा
2. शांति पत्नी मोती लाल मीना निवासी ईटावा तहसील सवाईमाधोपुर
3. हेमराज पुत्र मोती लाल मीना निवासी ईटावा तहसील सवाईमाधोपुर
4. मस्तराम पुत्र मोती लाल मीना निवासी ईटावा तहसील सवाईमाधोपुर
5. मोरध्वज पुत्र मोती लाल मीना निवासी ईटावा तहसील सवाईमाधोपुर
6. उगन्ती पुत्र मोती लाल मीना निवासी ईटावा तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. रतन पुत्र हरचन्द मीना निवासी करेला तहसील सवाईमाधोपुर
2. मल्लू पुत्र हरचन्द मीना निवासी करेला तहसील सवाईमाधोपुर
3. मियाराम पुत्र हरचन्द मीना निवासी करेला तहसील सवाईमाधोपुर
4. औंकार पुत्र हरचन्द मीना निवासी करेला तहसील सवाईमाधोपुर
5. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 30 दिनांक 20.9.1998 वाके ग्राम ईटावा तह0 सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित:— 1. जगदीश प्रसाद शर्मा — वकील अपीलान्ट संख्या 1
2. श्री श्याम मोहन शर्मा — वकील अपीलान्ट संख्या 1—6
2. श्री भोला शंकर शर्मा — वकील रेस्पो. 1—4

—: निर्णय :— दिनांक 23.8.2024

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर के द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 30 निर्णय दिनांक 20.9.1998 वाके ग्राम ईटावा तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि मृतक भागोती के विधिक वारिसान की जॉच किये बिना राजस्व अभियान मे आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 30 तस्दीक कर अहम भूल की गयी है क्योकि उक्त नामा0 को तस्दीक करने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को था किन्तु पूर्ण जानकारी के अभाव मे दर्ज फैसल किया गया है क्योकि मृतक भागाती की दो पुत्री घीसी व धापू देवी मौजूद थी किन्तु राजस्व अभियान मे मात्र घीसी के नाम से ही विरासत/उतराधिकार का नामा0 दर्ज फैसल कर अहम भूल की गयी है। उक्त नामा0 दर्ज फैसल करते समय पर अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर नही दिया गया है। यह तर्क भी दिया कि मृतक घीसी फोत हो जाने के कारण मृतक घीसी के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया जा रहा है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट मृतक धापू देवी का एक मात्र विधिक वारिसान एवं उत्तराधिकारी होने के कारण माननीय न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की जा रही है। यह तर्क भी दिया कि मृतक भागोती के विधिक वारिसान मृतक घीसी एवं धापू देवी के अपीलान्ट एवं रेस्पोडेण्टगणो के अतिरिक्त अन्य कोई वारिस एवं उत्तराधिकारी नही है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 17.6.2020 को होने पर दिनांक 18.6.2020 को नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं नकल प्राप्त होते ही बिना किसी देरी के अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:25:00 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

वकील अपीलान्ट संख्या 2 लगायत 6 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि मृतक भागोती की विरासत का नामा0 संख्या 30 दिनांक 20.9.1998 केवल मात्र घीसी के नाम से दर्ज फैसल किया गया है। जबकि अपीलान्ट संख्या 1 की माता धापू देवी भी मृतक भागोती की पुत्री थी। इस प्रकार उक्त नामा0 उत्तराधिकार के आधार पर मृतक भागोती बेवा राजाराम की दोनो पुत्रियों के पक्ष मे दर्ज फैसल किया जाता तब भी विधिसम्मत नही माना जाता क्योकि मृतक भागोती द्वारा अपीलान्ट संख्या 2 लगायत 6 के पिता मोतीलाल पुत्र विजयराम के पक्ष मे अपनी विरासत की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 2.9.1986 को करवायी जा चुकी थी। इसलिए उक्त विरासत का नामा0 अपीलान्ट संख्या 2 लगायत 6 के पिता मोतीलाल पुत्र विजयराम मीना के नाम होना चाहिए था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट संख्या 2 लगायत 6 द्वारा निवेदन किया गया ।

विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है क्योकि अपीलान्ट की नानी भागोती बेवा राजाराम द्वारा रेस्पो0 की माता घीसी देवी के पक्ष मे दिनांक 20.10.1986 को अन्तिम वसीयत की हुई है तथा उक्त वसीयत में पूर्व मे मोतीलाल पुत्र विजयराम के पक्ष मे कुछ महीने पहले की गयी वसीयत को निरस्त समझने बाबत लिखते हुए रेस्पो0 की माता घीसी देवी के पक्ष मे की गयी वसीयत को अन्तिम वसीयत माना जाने बाबत लिखा गया है। तथा उक्त वसीयत के आधार पर ही नामा0 संख्या 30 दिनांक 20.9.1998 पारित किया गया है जो विधिसम्मत होने के कारण हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि प्रथम तो नामा0 संख्या 30 दिनांक 20.9.1998 के कॉलम संख्या 14 के अनुसार यह नामा0 वसीयत के आधार पर दर्ज फैसल नही किया जाकर उत्तराधिकार के आधार पर दर्ज फैसल किया गया है तथा उत्तराधिकार के अनुसार मृतक भागोती की विरासत में उसकी दोनो पुत्रियों (धापू,घीसी अथवा उनके वारिसान) का अधिकार बनता है। अपीलान्ट संख्या 1 धापू के तथा रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4 घीसी के वारिसान है। चूंकि अपीलान्ट संख्या 2 लगायत 6 के पिता मोतीलाल के पक्ष में मृतक भागोती द्वारा दिनांक 2.9.1986 को रजिस्टर्ड वसीयत की हुई है इसलिए अपीलान्ट संख्या 2 लगायत 6 के पिता/पति मोतीलाल का भी मृतक भागोती की विरासत मे भागोती के हिस्से की सीमा तक अधिकार बनता है। इस प्रकार मृतक भागोती की विरासत मे अपीलान्ट संख्या 1 व रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 का उत्तराधिकार के अनुसार अधिकार बनता है तथा अपीलान्ट संख्या 2 लगायत 6 के पिता/पति मोतीलाल का रजिस्टर्ड वसीयत के अनुसार (भागोती को उक्त भूमि उत्तराधिकार मे प्राप्त होने की स्थिति में) भागोती के हिस्से की सीमा तक अधिकार बनता है। उक्त विवेचन के आधार पर यह तथ्य सामने आया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते समय मृतक भागोती के सभी वारिसान को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नही गया है। अतः मृतक भागोती के सभी विधिक वारिसान की सुनवायी हेतु प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को भिजवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील (नामा0 संख्या 30 निर्णय दिनांक 20.9.1998 वाके ग्राम ईटावा) खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक भागोती के विधिक वारिसान की जॉच की जाकर तथा उक्त आदेश जैर अपील से संबंधित भूमि भागोती की स्व अर्जित/उत्तराधिकार से प्राप्त होने संबंधी तथ्यों की जॉच करते हुए अपीलान्ट संख्या 2 लगायत 6 के पति/पिता मोतीलाल के पक्ष में की गयी रजिस्टर्ड वसीयत को भागोती के हिस्से की सीमा तक माना जाकर एवं शेष सभी पक्षकारान को उत्तराधिकार के अनुसार सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः नियमानुसार निर्णय पा[illegible]

निर्णय आज दिनांक 23.8.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:25:00 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ.खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner